न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00308RAAJodhpur2019-161RTA225 Smt. Noji ors Vs Kuldeepsingh etc

01. श्रीमती नौजी पत्नी स्व. नारायणराम जी,
02. श्रीमती गुलाब देवी पुत्री स्व. नारायणराम जी
03. देवी पुत्री स्व. नारायणराम जी
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- लोरड़ी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स –

ब

ना

म

01. कुलदीपसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी- तलिया लोरडी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर।
02. श्रीमती नौजी पत्नी दुर्गाराम जी, जाति जाट, निवासी- लोरड़ी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 26 अगस्त 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 श्रीमती नौजी व अन्य बनाम कुलदीपसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री पवन रांकावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भोपालसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री एम.के. त्रिवेदी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 28 जुलाई 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 अनवान नौजी देवी व अन्य बनाम कुलदीपसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 95 रकबा 88 बीघा 15 बिस्वा ग्राम लोरड़ी तहसील जोधपुर के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनीगण की पैतृक संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। अपीलांट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 88 में निहित अपने 1/2 हिस्से में सें मात्र 10 बीघा भूमि का बेचान का सौदा रेस्पोडेंट संख्या एक साथ किया था। अपीलांट संख्या एक द्वारा उक्त भूमि में सें 25 बीघा कृषि भूमि का कभी भी रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के साथ सौदा नहीं किया था, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अन्य लोगो के साथ मिलावट करते हुए षडयंत्र पूर्वक 10 बीघा भूमि के कागजात तैयार करवाते वक्त अपीलांट संख्या एक को मुगालते में रखकर विश्वासघात करते हुए 25 बीघा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का बेचान करने बाबत एक फर्जी एवं कूटरचित पावर ऑफ एटोनी तैयार कर बिना प्रतिफल की राशि अपीलार्थी को दिये झूठा बेचाननामा दिनांक 11.11.2014 को रेस्पोडेंट संख्या एक ने रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। अपीलांट्स द्वारा बेचाननामा निरस्त किये जाने बाबत सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिनका अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज खातेदार है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो को बिना विधिक अधिकार के कब्जा करने व अपीलार्थीगण का उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को बखूबी साबित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाने में वाक्याती भूल की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 अगस्त 2019 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थीनीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में वांछित अनुतोष को प्रदान किये जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने निवेदन किया कि अपीलांट संख्या एक द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी का बेचान किया है। अपीलांट्स द्वारा पॉवर एटोनी फर्जी होने के संबंध मे कोई प्राथमिकी दर्ज नही करवायी। अपीलांट्स द्वारा केवल सेल डीड के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवायी। अपीलांट्स द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावे के केवल स्थाई निषेधाज्ञा बाबत ही पेश किया गये है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये सद्भाविक क्रेता/रेस्पो. के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तत्वों को मानते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11 नवंबर 2014 एवं आम मुख्त्यारनाम दिनांक 16 अप्रैल 2014 के मुताबिक अपीलांट्स श्रीमती नौजी देवी, गुलाबदेवी व देवी द्वारा आम मुख्त्यार रेस्पोडेंट संख्या एक कुलदीपसिंह के जरिये वादग्रस्त आराजी में सें 25 बीघा भूमि का बेचान पंजीबद्ध विक्रय विलेख जरिये किया जाना पाया जाता है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख में स्पष्ट अंकित है कि राशि 10,00,000/- रुपये बेचानकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली गई है तथा कब्जा क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में पाये जाते है। लिहाजा अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से सहमत होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 अगस्त 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर